बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०2/76–02/2008 - 166 /पटना, दिनांकः– 09/7/24

कार्यालय आदेश

श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन आदेशपाल, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत को उनके सेवा काल में श्री राजेश्वर प्रसाद, भूतपूर्व सैनिक, न्यू ताराचक स्टेट बोरिंग के पास, थाना–दानापुर से उनके साला प्रमोद राय के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने के एवज में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना को 500/–(पाँच सौ रूपये) रिश्वत लेने में सहयोग करने एवं लेते हुए निगरानी धावादल द्वारा दिनांक–24.10.2007 को रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप दर्ज निगरानी थाना कांड सं०–120/2007 दिनांक–24.10.2007 के अंतर्गत धारा–7/13(2) सहपठित धारा–13(1)(डी०) भ०नि० अधिनियम,1988 के प्राथमिक अभियुक्त रहने के कारण निदेशालय के का०आ०सं०–315 सहपठित ज्ञापांक–2310 दिनांक–07.12.2007 द्वारा निलंबित किया गया था। योजना एवं विकास विभाग का आदेश ज्ञापांक–4147 दिनांक–20.12.2007 द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। निदेशालय के का०आ०सं०–117 सहपठित ज्ञापांक–1066 दिनांक–30.05.2008 द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा मनोनित अपर समहर्त्ता (नक्सल), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने के एवज में दिनांक–24.10.2007 को श्री राजेश्वर प्रसाद से 500/–रूपये रिश्वत की राशि प्राप्त कर उसे श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के हाथ में देने एवं उसी समय निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पदाधिकारियों द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने और गिरफ्तार किये जाने संबंधी आरोप लगाये गये थे।

2. जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1387/स्था० दिनांक–21.06.2010 द्वारा संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समहर्त्ता (नक्सल), पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा गया। संचालन पदाधिकारी ने समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य दिया है :–

"तथ्यों के अवलोकन एवं अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक–24.10.2007 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल के द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, आदेशपाल को परिवादी श्री राजेश्वर प्रसाद से 500/–रूपये रिश्वत की राशि प्राप्त कर उसे श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के हाथ में देने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया किन्तु श्री गुप्ता के हाथ में अथवा पहने गये कपड़ा की जाँच करने पर उनके पास से रिश्वत की राशि जी०सी० नोट नहीं पाया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल के द्वारा दो अलग–अलग शीशा के ग्लास में सोडियम कार्वोनेट का घोल तैयार कर बारी–बारी से दोनों हाथ की सभी अंगुलियों को घोल में धोने पर धोवन का रंग गुलाबी हो गया। श्री गुप्ता के विषय में कहीं पर यह अंकित नहीं है कि परिवादी श्री राजेश्वर प्रसाद से 500/–रूपये रिश्वत की राशि प्राप्त कर श्री गुप्ता के द्वारा अपने दोनों हाथों से उसकी गिनती की गई। यदि गिनती नहीं की

गई तो दोनों हाथों के अंगुलियों को धोवन का रंग किस प्रकार गुलाबी हो गया यह स्पष्ट नहीं होता है। प्रस्तोता पदाधिकारी के मंतव्य के अनुसार भी यह प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–24.10.2007 को विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार कर निगरानी वाले ले गये थे। जिला सांख्यिकी कार्यालय में उनके द्वारा किसी तरह का जाँच नहीं किया गया। श्री गुप्ता, आदेशपाल के पास से जाँच में कोई भी जी०सी० नोट रिश्वत की राशि बरामद नहीं की गई। इस प्रकार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप एवं समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।''

3. श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को निदेशालय के का०आ०सं०–185 सहपठित ज्ञापांक–1449 दिनांक–25.07.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(क) के तहत समपरिवर्तित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन पर असहमति के बिन्दुओं को उल्लेखित करते हुए उसपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–2111 दिनांक–22.09.2017 द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त पर श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत निदेशालय के का०आ०सं०–368 सहपठित ज्ञापांक–2495 दिनांक–13.11.2017 द्वारा इनकी समूची पेंशन रोक रखने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-3480/2018 विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–04.12.2023 को पारित न्यायादेश निम्नवत है :–

"Upon considering the case and position of law, it is crystal clear to this Court that the order for forfeiture of pension can be passed only after granting opportunity ot the delinquent in view of the ratio as laid down under Rule 139(b) of the Bihar pension Rule as well as Ram Das Ram Vs. the State of Bihar reported in (2022) 1 BLJ 618 wherein it has been held that prior to passing the forfeiture of pension, opportunity of hearing shall be granted to the delinquent.

In the light of the Bihar Pension Rule 139(c) and in view of the decision rendered in the case of Ram Das Ram (supra), this Court is of the opinion that the order impugned i.e. dated issued vide Memo No. 2495 dated 13.11.2017 by the Director, Economic and Statistic Directorate, Bihar, Patna (Annexure-11 to the writ petition) is illegal and is not in accordance with law.

Accordingly, the same is hereby quashed and the writ petition is allowed.

The respondents are directed to grant consequential benefits to the petitioner."

6. उक्त न्यायादेश पर दायर LPA No.-298/2024 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम विश्वनाथ गुप्ता में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–10.05.2024 को पारित न्यायादेश की कंडिका–13, 14, 15 एवं 16 में न्यायादेश निम्नवत है :–

"13. In the above circumstances, we interfere with the order of the learned Single Judge only to the extent of directing grant of

consequential benefits to the writ petitioner. We agree with the learned Single Judge only insofar as the impugned order having been set aside. We also notice that the impugned order has been passed under Rule 43(a) of the Bihar Pension Rules, which obviously is a mistake since if based on disciplinary inquiry initiated on the ground of misconduct alleged while in service, the inquiry proceeding has to culminate with a punishment, if found guilty, by invoking Rule 43(b) of the Bihar Pension Rules and not Rule 43(a) of the Bihar Pension Rules.

14. It is trite law that non quoting of a provision or misquoting of it will not vitiate an order. However, in any event the order is vitiated for reason of no personal hearing having been afforded; though according to us Rule 139(b) of the Bihar Pension Rules does not say so in so many words. We, hence, direct the disciplinary enquiry to resume the proceedings from the stage of Annexure-9. Annexure-9 disagreement memo has now been sent to the writ petitioner. The writ petitioner has also filed objection at Annexure-10. We direct the writ petitioner or his authorized representative; which we specify, since the learned Counsel for the writ petitioner submits that the writ petitioner is laid up, to appear before respondent no.3 (Disciplinary Authority) for personlal hearing.

15. The writ petitioner or his authorized represntative will be issued with notice and he by himself or the authorized representative shall appear for personal hearing. After conducting personal hearing, a speaking order shall be passed by the Disciplinary Authority. If none appears on the hearing date, then the Appellate Authority shall consider the objections and pass an order.

16. We make it clear that the entire proceedings should be finished within two months from today."

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.-298/2024 में पारित न्यायादेश दिनांक–10.05.2024 के अनुपालन में असहमति के गठित बिन्दु पर सुनवाई की तिथि निदेशालय के पत्रांक–1064 दिनांक–04.07.2024 द्वारा दिनांक–08.07.2024 को निर्धारित करते हुए श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया। श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध गठित असहमति का बिन्दु निम्नवत है :–

"आरोप ही मृत्यु प्रमाण पत्र देने के लिए रिश्वत की राशि प्राप्ति करने में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक को सक्रिय सहयोग देने का है एवं निगरानी धावा दल द्वारा जब श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के पॉकेट से संबंधित जी०सी० नोट बरामद हुआ और आपका हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। यह प्रमाणित करता है कि आपने रिश्वत की राशि लेकर श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को दिया है जिसके कारण आपके हाथ के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जो आप पर गठित आरोप को प्रमाणित करता है।"

8. श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता सुनवाई की निर्धारित तिथि–08.07.2024 को स्वयं उपस्थित हुए एवं सुनवाई में उनके पक्ष को सुना गया। श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता द्वारा सुनवाई में कहा गया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें आरोप से मुक्त किया जाय।

9. अभिलेख में संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने के एवज में

दिनांक–24.10.2007 को 500/–रूपये रिश्वत की राशि प्राप्त कर उसे श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के हाथ में दे दिया गया। उसी समय निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पदाधिकारियों द्वारा इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया और इनका हाथ सोडियम कार्वोनेट के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि रिश्वत की राशि लेकर इनके द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को दिया गया। अतएव इनका यह कहना कि वे निर्दोष हैं, स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन आदेशपाल, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत पर मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने के एवज में 500/–रूपये रिश्वत लेने में सहयोग करने के लिए प्रमाणित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139(ख) में निहित प्रावधान के आलोक में इनकी समूची पेंशन रोक रखने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(हिमांशु कुमार राय)
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०2/76–02/2008 -1098 /पटना, दिनांकः–09/07/24

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, पटना/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को उनके पत्रांक–1581/अप०श० दिनांक–30.11.2017 एवं 138/अप०शा० के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. कोषागार पदाधिकारी, पटना/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन आदेशपाल, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत, पता–पिता–स्व० सीताराम प्रसाद गुप्ता, मोहल्ला–बाकरगंज, पोस्ट–बाँकीपुर, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9.7.24
निदेशक